भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2001

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ की विभिषिका

2001. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के उन विभिन्न शहरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या देश को प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है जिससे भारी नुकसान होता है;

(ग) सरकार द्वारा बाढ़ की विभिषिका, जिससे जान-माल की हानि होती है, को देखते हुए किए गए एहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पांच वर्षों के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किन-किन राज्यों को कुल कितनी निधि जारी की गई है; और

(ङ) दिल्ली में हाल ही में जुलाई में आई बाढ़ के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका सामना भारत द्वारा अलग-अलग गंभीरता में लगभग प्रत्येक वर्ष किया जाता है। बाढ़ के बार-बार आने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है, जिनमें सामान्य पैटर्न से हट कर दिक और काल की दृष्टि से वर्षा में व्यापक भिन्नता, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी के तटों का कटाव और नदी तलों में गाद जमा होना, भूस्खलन, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकासी न होना, ग्लैशियल झीलों का फटना आदि शामिल हैं।

भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति के राज्य-वार आंकडे संबंधित राज्यों से पुष्टि प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संकलित किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों (2017-2021) के दौरान देश में बाढ़/भारी वर्षा के कारण हुई क्षति को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्वयं अपने संसाधनों से तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और साथ ही संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य, कम से कम लागत पर बाढ़ से होने वाली क्षति के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया था। जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत पूरी की गई 427 परियोजनाओं ने लगभग 4.994 एमएचए क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 53.57 मिलियन की आबादी संरक्षित की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ की शीघ्र चेतावनी मुहैया करवाने का कार्य सौंपा गया है। इस समय, सीडब्ल्यूसी 338 पूर्वानुमान स्टेशनों (138 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन और 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन) के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है जिसमें 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस नेटवर्क की स्थापना, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से की गई है। लोगों को सुरक्षित रखने की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिक समय प्रदान करने के लिए, सीडब्ल्यूसी ने अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 5 दिनों के अग्रिम एडवाइजरी प्रदान करने के लिए वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है।

(घ): आपदा प्रबंधन का प्राथमिक प्रबंधन कार्य संबंधित राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित संभार तंत्र और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार की अनुमोदित मदों के अनुसार उनके निपटान में पहले से ही निर्धारित राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन करना शामिल होता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई कुल निधि **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ङ): हथनीकुंड बैराज की प्रतिप्रवाह दिशा हिमालयी क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा के कारण जुलाई 2023 के दूसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली को यमुना नदी में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। हथनीकुंड बैराज के अनुप्रवाह से बहुत अधिक पानी बह जाने के परिणामस्वरूप 13 जुलाई, 2023 को 18:00 बजे दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर 208.66 मीटर का उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया, जो सितंबर, 1978 में दर्ज 207.49 मीटर के उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गया।

****

अनुलग्नक-।

"बाढ़ की विभिषिका" विषय पर दिनांक 07.08.2023 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2001 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण राज्य-वार हुई कुल क्षति (2017-2021) (करोड़ रूपए में)

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों	2017	2018	2019	2020	2021
आंध्र प्रदेश	-	3687.171	698.05	917.66	6320.46
अरुणाचल प्रदेश	1574.68	1913.82728		1390.08	567.9
असम	4164.81	2480.98	3121.98	2439.73	1072.43
बिहार	-	5.5598	-	810.19	6444.86
छत् तीसगढ़	-	41.689	-	31.34	1.24
गोवा	-	-	-	-	218.62
गुजरात	3555.87	118.048	2.79	2915.31	1259.98
हरियाणा	18.007	89.026	0.6	-	614.63
हिमाचल प्रदेश	51.3667	65.9	229.11	60.55	1127.47
झारखंड	0.667	0.2	13.25	0.89	1.49
कर्नाटक	-	4620.78	-	9833	1975.81
केरल	-	3320.76	-	-	एनआर
मध्य प्रदेश	-	1.67	-	-	एनआर
महाराष्ट्र	-	-	-	-	एनआर
मणिपुर	-	-	-	-	एनआर
मेघालय	0.14	0.0663	3.66	-	एनआर
मिजोरम	104.02	-	-	0.05	0.4
नागालैंड	551.59	-	-	-	एनआर
ओडिशा	334.315	299.84	454.82	1509.33	379.51
पंजाब	18.64	124.52	-	-	46.61
राजस्थान	1876.8578	31.7275	8820.91	191.17	5477.18
सिक्किम	245.44	-	-	349	92.43
तमिलनाडु	-	-	1.21	-	7039.56
तेलंगाना	-	-	-	-	एनआर
त्रिपुरा	132.824	946.1775	437.65	137.92	38.12
उत्तर प्रदेश	308.053	547.4233	809.63	602.96	825.26
उत्तराखंड	-	-	-	-	एनआर
पश्चिम बंगाल	17727.94	54.006	1269.83	-	16079.45
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	0.11
चंडीगढ़	-	-	-	-	शून्य
दादर और नगर हवेली	0.1	-	0.03	-	शून्य
लद्दाख	-	-	-	-	एनआर
दिल्ली	-	-	-	-	18.39
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	एनआर
लक्षद्वीप	-	-	5	5	एनआर
पुडुचेरी	-	0.6	-	-	15.71
दमन और दीव	0.525	-	-	-	-
कुल	**30665.8455**	**18349.97168**	**15868.52**	**21194.18**	**49617.62**

एनआर- सूचित नहीं किया गया।

****

अनुलग्नक-।।

"बाढ़ की विभिषिका" विषय पर दिनांक 07.08.2023 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2001 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31.03.2023 तक) के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन और जारी किए जाने का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ से जारी केंद्र का हिस्सा					एनडीआरएफ से जारी निधि (सभी आपदाओं के लिए)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आंध्र प्रदेश	509.00	534.00	1192.80	1192.80	1252.80	458.10	324.15	895.20	895.20	940.00	1004.88	570.91	657.029	351.43	
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	63.00	222.40	222.40	233.60	54.00	56.70	200.00	200.00	210.40	132.49		59.34		
3.	असम	532.00	559.00	686.40	686.40	720.80	478.80	503.10	617.60	617.60	648.80			44.37		250.00
4.	बिहार	543.00	570.00	1510.40	1510.40	1586.40	101.815	631.12	1132.80	1132.80	1189.60	--	953.17	1255.27	1038.96	
5.	छत्तीसगढ़	278.00	292.00	460.80	460.80	484.00	349.575	177.30	345.60	345.60	181.60					
6.	गोवा	4.00	4.00	12.00	12.00	12.80	1.80	4.20	9.60	9.60	9.60					
7.	गुजरात	816.00	856.00	1412.00	1412.00	1482.40	449.95	886.80	1059.20	1059.20	556.00				1000.00	
8.	हरियाणा	356.00	374.00	524.00	524.00	550.40	320.40	227.10	392.80	392.80	412.80					
9.	हिमाचल प्रदेश	273.00	287.00	363.20	363.20	380.80	245.70	197.23	327.20	327.20	342.40	227.29	518.06	290		214.26
10.	जम्मू और कश्मीर*	295.00	310.00				252.90	405.00								
11	झारखंड	421.00	442 00	605.60	605.60	63520	315.75	331.50	454.40	454.40					200.00	
12.	कर्नाटक	320.00	336.00	843.20	843.20	885.60	288.00	204.00	632.80	632.80	664.00	959.84	3208.28	689.27	1623 30	939.83
13.	केरल	214.00	225.00	335.20	335.20	352.00	192.60	136.65	251.20	251.20	264.00	2904.85				
14	मध्य प्रदेश	1016.00	1066 00	1941.60	1941.60	2038.40	914.40	647.10	1456.00	1456.00	1528.80	334.00	1712.14	1891.79	600.50	
15.	महाराष्ट्र	1717.00	1803.00	3436.80	3436.80	3608.80	1287.75	1352.25	2577.60	2577.60	2706.40	2088.59	5189.40	420.12	1056.39	
16.	मणिपुर	22.00	23.00	37.60	37.60	39.20	9.90	30.60	33.60	33.60	35.20			26.53		
17.	मेघालय	28.00	29.00	58.40	58.40	60.80		38.70	52.80	52.80	27.20	--		16.52		
18.	मिजोरम	20.00	20.00	41.60	41.60	43.20	18.00	18.00	37.60	37.60	39.20					
19.	नागालैंड	11.00	12.00	36.80	36.80	38.40	9.90	10.80	32.80	32.80	34.40	195.99	176.52	1.335	--	107.304
20.	ओडिशा	865.00	909.00	1711.20	1711.20	1796.80	778.50	552.00	1283.20	1283.20	1348.00	341.72	3294.10	500.00	500.00	
21.	पंजाब	451.00	474.00	528.00	528.00	554.40	321.99	412.37	474.43	396.00	416.00	-				
22.	राजस्थान	1277.00	1340.00	1580.00	1580.00	1659.20	957.75	1005.00	1184.80	1184.80	1244.80	526.14	1949.59	68.65	--	13.46
23.	सिक्किम	36.00	36.00	44.80	44.80	47.20	32.40	34.20	40.00	40.00	42.40	54.93	--	73.86	55.23	
24.	तमिलनाडु	786.00	825.00	1088.00	1088.00	1142.40	707.40	500.85	816.00	816.00	856.80	900.31		286.91	566.36	
25.	तेलंगाना	317.00	333.00	479.20	478.20	503.20	226.50	487.50	359.20	359.20	188.80	--				
26.	त्रिपुरा	36.00	38.00	60.80	60.80	63.20	32.40	34.20	54.40	54.40	56.80	171.74	--	12.93		
27.	उत्तर प्रदेश	781.00	2062.40		2062.40	2165.60	351.45	849.30	1546.40	1546.40	812.00	157.23				
28.	उत्तराखंड	243.00	255.00	832.80	832.80	874.40	218.70	229.50	749.60	749.60	787.20					
29.	पश्चिम बंगाल	598.00	628.00	1078.40	1078.40	1132.80	269.10	650.40	808.80	808.80	849.60	--	958.33	2250.28	350.13	
	कुल	**12825.00**	**13465.00**	**23186.40**	**23186.40**	**24344.80**	**9658.13**	**10937.62**	**17825.63**	**17747.20**	**16392.80**	**10000.00**	**18530.50**	**8257.11**	**7542.30**	**1524.854**

* अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।